UPMZ010076772026

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Judge/Special Judge (POCSO Act),Court No 1 (for trying rape cases along with the cases covered under the POCSO), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Smt. Manjula Bhalotia), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP03817**

प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र सं0-3120/2026

सुमित उर्फ माचू बनाम उ0प्र0 सरकार

अन्तर्गत धारा– 363, 366, 376 भा0 दं0 सं0
व 3/4 पॉक्सो एक्ट
मु०अ०सं०–779/2018
थाना– कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर

10.07.2026

1- मु0 अ 0 सं0- 779/2018, अन्तर्गत धारा- 363, 366, 376 भा0 दं0 सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना- कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर में संलिप्त प्रार्थी/अभियुक्त **सुमित उर्फ माचू पुत्र कृष्णपाल, निवासी कृष्णापुरी, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

2- संक्षेप में जमानत प्रार्थना-पत्र में आधार लिये गये हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कतई निर्दोष है और उन्होने अपराध उक्त से सम्बन्धित कोई अपराध नही किया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को आपस की पार्टीबाजी के आधार पर कोतवाली नगर की पुलिस से मिलकर झूठा फंसाया गया है। घटना दिनांक 26.06.2018 की बतायी जाती है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.07.2018 को 8 दिन बाद दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं लिखा गया है। मुकदमा अपराध संख्या उपरोक्त की वादिया ने जो तहरीर लिखाई है और थाना कोतवाली नगर मे जो पीड़िता का 161 सी. आर.पी.सी. का बयान हुआ है उसमें काफी भिन्नता है। 161 सी.आर.पी.सी. के बयान में प्रार्थी/ अभियुक्त पर बलात्कार किया जाना नहीं बताया गया है। पीड़िता का जो बयान माननीय न्यायालय में धारा 164 सी.आर.पी.सी. के तहत दर्ज कराया गया है। उसमें भी पीड़िता द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त को केवल बदतमीजी करना बताया गया है। पुलिस ने जो जांच कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया है उसमें कार का नम्बर नही दर्शाया गया है। पीड़िता का जो चिकित्सा परीक्षण पुलिस द्वारा कराया गया है उसमे भी पीड़िता का बाह्य भाग अथवा आन्तरिक भाग पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये है। उस समय हिन्दी दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र के दिनांकित 16.07.2018 के अंक में भी कोतवाली नगर के तत्कालीन प्रभारी ने बयान जारी कर बताया था कि पीड़िता द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। स्पेशल वाद उपरोक्त न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज पोक्सो

Digitally signed by MANJULA BHALOTIA
Date: 2026.07.10 15:56:25 IST
Reason: bail order
Location: ADJ/PDCSO-1

कोर्ट न 0-1, मुजफ्फरनगर स्पेशल वाद स 0 2468/9 सन 2023 सरकार बनाम आकाश आदि धारा-363,366,376 आई.पी.सी. एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना कोतवाली नगर के नाम से विचाराधीन है जिसमें दिंनाक 20.06.2026 नियुक्त है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारन्ट जारी कर दिये गये थे। गैर जमानती वारन्ट के आधार पर ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस प्रार्थी/ अभियुक्त को दिंनाक 07.06.2026 को गिरफ्तार कर लायी थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है और मजदूरी का कार्य करके व अपने माता पिता व अन्य परिजनों का पालन पोषण करता है। प्रार्थी/ अभियुक्त दिंनाक 07.06.2026 से जिला कारागार मुजफ्फरनगर मे बन्द है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नही है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। जमानत पर रिहा किया जाए।

3- जमानत के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4- प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा प्रार्थी/ अभियुक्त ने जानबूझकर न्यायालय में हाजिर आने में कोई लापरवाही नहीं की है और न ही भविष्य में करेगा। इस प्रकार जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

5- उक्त के विरोध में सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया गया और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6- प्राथमिकी अनुसार अभियुक्त पर वादिया की नाबालिग धेवती कु. पीड़िता उम्र 12 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप है तथा प्रस्तुत प्रकरण में सहअभियुक्त इरशाद को दिनांक 24.11.2023 को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि अभियुक्त के दिनांक 31.10.2023 के बाद निरंतर न्यायालय से अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एन.बी.डब्लू., धारा 82 व धारा 83 द.प्र.सं. की आदेशिकाएं जारी की गयीं। अभियुक्त के निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली की कार्यवाही अनावश्यक रूप से लंबित रही है। अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने पर पत्रावली की कार्यवाही अनावश्यक रूप से लंबित रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण अवगुण पर विचार किये प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सुमित उर्फ माचू पुत्र कृष्णपाल, निवासी कृष्णापुरी, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर** का मु0 अ 0 सं0– 779/2018, अन्तर्गत धारा– 363, 366, 376

भा0 दं0 सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना– कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर के प्रकरण में प्रस्तुत **प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र** निरस्त किया जाता है।

दिनांक-10.07.2026

(मंजुला भालोटिया)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
कोर्ट सं०– 01, मुजफ्फरनगर।